

Filling no. RCS-A/565/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 157 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

**(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/565/2017

CNR no. MP30010049502017

सिविल वाद क्रमांक 157 ए/2017

संस्थित दिनांक :-04/09/2017

श्रीमती मधु यादव पुत्री महेश यादव, उम्र-28 वर्ष,  
निवासी-ग्राम रूर, थाना-ऊमरी,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादी/आवेदक

**//बनाम//**

1. आशाराम पुत्र जगन्नाथ यादव, उम्र-80 वर्ष,
2. महेश यादव पुत्र आशाराम यादव, उम्र-50 वर्ष,
3. हंसराज यादव पुत्र आशाराम यादव, उम्र-45 वर्ष,
4. उदय सिंह पुत्र आशाराम यादव, उम्र-43 वर्ष,  
निवासी-ग्राम गेहवत, थाना-ऊमरी,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0) .....असल प्रतिवादीगण/अनावेदकगण
5. रणवीर सिंह पुत्र रामचरन, उम्र-50 वर्ष,
6. राजवीर सिंह पुत्र रामचरन, उम्र-48 वर्ष,
7. उदयवीर सिंह पुत्र रामचरन, उम्र-46 वर्ष,
8. सोनवीर सिंह पुत्र रामचरन, उम्र-40 वर्ष,  
सभी निवासी-ग्राम गेहवत, थाना-ऊमरी,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)
9. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0) ..... तरतीबी प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री मुन्ना सिंह कुशवाह अधिवक्ता।  
प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 द्वारा श्री उल्फत सिंह चौहान अधिवक्ता।  
प्रतिवादी क्रमांक 5 द्वारा श्री अनिल मिश्रा अधिवक्ता।  
प्रतिवादी क्रमांक 6, 7, 8 व 9 एकपक्षीय।

**//आदेश//**

( आज दिनांक 16.03.2018 को घोषित )

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।

2. इस मामले में ग्राम गेहवत, थाना—ऊमरी, जिला—भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3831 क्षेत्र 0.14 हे०, सर्वे क्रमांक 3834 क्षेत्र 0.74 हे०, सर्वे क्रमांक 3612 क्षेत्र 1.15 हे०, सर्वे क्रमांक 3510 क्षेत्र 0.13 हे० व सर्वे क्रमांक 3835 क्षेत्र 0.97 हे० (एतस्मिन् पश्चात् “विवादित भूमियाँ” से निर्दिष्ट) पर वादी के अंश की घोषणा व बिना बँटवारा कराये विक्रय के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियाँ पैत्रिक भूमियाँ हैं, वादी के बाबा प्रतिवादी क्रमांक 1 आशाराम के हिस्से में से वादी के पिता प्रतिवादी क्रमांक 2 महेश यादव का  $1/4$  हिस्सा है और इस  $1/4$  हिस्से में  $1/2$  अंश वादी प्राप्त करने की अधिकारी है। वादपत्र के पैरा-3 में दर्शित वंशवृक्ष के अनुसार जगन्नाथ के दो पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 आशाराम व औपचारिक प्रतिवादी क्रमांक 5 हैं, प्रतिवादी क्रमांक 1 आशाराम के तीन पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 महेश, प्रतिवादी क्रमांक 3 हंसराज व प्रतिवादी क्रमांक 4 उदय सिंह हैं और प्रतिवादी क्रमांक 2 महेश की पुत्री वादी है। विवादित भूमियाँ पैत्रिक सम्पत्ति हैं, प्रतिवादी क्रमांक 1 बिना किसी आवश्यकता के विवादित भूमियों के विक्रय हेतु तत्पर है और जब वादी ने विवादित भूमियों पर उसका विक्रय करने से रोका तो प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी का हिस्सा देने से इंकार कर दिया। दिनांक 10.08.2017 को वादी ने पंचायत के सामने भी अपने हिस्से की माँग की तो प्रतिवादीगण ने वादी का हिस्सा देने से इंकार कर दिया। उक्त तथ्यों के आधार पर यह सिविल वाद संस्थित किया गया है, प्रथम दृष्ट्या वादी के पक्ष में है, विवादित भूमियों के विक्रय हो जाने की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 को वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमियों के विक्रय या अन्यथा हस्तांतरण करने से निषेधित किया जाये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 का जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियों पर वादी का कोई हक व हित नहीं है, विवादित भूमियाँ पैत्रिक भूमियाँ नहीं हैं बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा स्वयं अर्जित की गयी हैं। वादी ने जगन्नाथ के अन्य वारिसों का उल्लेख वंशवृक्ष में नहीं किया है, वादी ने झूठे व मनगढ़ंत आधारों पर वाद संस्थित किया है और विवादित भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व की हैं। वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

**निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार****विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-**

6. वादी की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के समर्थन में खसरा पंचशाला वर्ष 2017 (संवत् 2072 से 2076) की छायाप्रति प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त रीनंबरिंग सूची की असत्यापित प्रति, विक्रय पत्र दिनांक 21.08.2017 व खसरा संवत् 2036 से 2040 (वर्ष 1979 से 1983) की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

7. वादी का यह अभिवचन है कि विवादित भूमियाँ पैत्रिक सम्पत्ति हैं, वंशवृक्ष के अनुसार जगन्नाथ से विवादित भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 आशाराम को प्राप्त हुईं और प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 महेश की पुत्री के नाते वादी का विवादित भूमियों पर जन्म से हक व हित निहित है। वादी के अभिवचन से यह प्रकट है कि जगन्नाथ के स्वत्व की भूमि पर सहदायिक के नाते वादी द्वारा जन्मतः अधिकार का दावा किया जा रहा है। जगन्नाथ के स्वत्व की भूमि पर सहदायिक के नाते जन्म से वादी का हक तभी माना जा सकता है जबकि जगन्नाथ की मृत्यु के समय वादी का जन्म हो चुका हो।

8. वादपत्र के अनुसार वादी की उम्र-28 वर्ष है, स्पष्ट है कि जगन्नाथ की मृत्यु के समय वादी का जन्म होना उसी दशा में संभव है जबकि मूल पुरुष उक्त जगन्नाथ की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होने के बाद हुयी हो। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4, 6, 8 व 19 पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तम बनाम सौभाग सिंह (2016) 4 एस0सी0सी0 68 में यह अवधारित किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होने के पश्चात् निर्वसीयती मृत्यु की दशा में पैत्रिक सम्पत्ति का न्यागमन धारा 8 के अनुसार होगा और ऐसी दशा में मृतक के उत्तराधिकारी सम्पत्ति को सामान्य अभिधारी (टीनेन्ट्स इन कॉमन) के रूप में प्राप्त करेंगे।

9. वादी की ओर से ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें कि विवादित भूमियाँ जगन्नाथ के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही हों। वादी की ओर से खसरा पंचशाला संवत् 2036 से 2040 (वर्ष 1979 से वर्ष 1983) प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विवादित भूमियों में से केवल एक सर्वे क्रमांक 3418 जगन्नाथ पुत्र चक्रपान के नाम पर दर्ज है, वादी की ओर से यह तर्क किया गया है कि सर्वे नंबर 3418 ही वर्तमान सर्वे नंबर 3612 है और यह भूमि जगन्नाथ के स्वत्व की थी। यदि यह मान भी लिया जाये कि उक्त भूमि जगन्नाथ की थी तो भी उक्त मूल पुरुष जगन्नाथ की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्राप्त होने से वह प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में उसकी पृथक सम्पत्ति मानी जाएगी और उसके जीवनकाल में वादी का कोई हक व हित नहीं होगा।

10. वादी के अनुसार जगन्नाथ के स्वत्व की विवादित भूमियों पर पौत्री के नाते

सहदायिक के रूप में वादी का जन्म से हक व हित है। वादपत्र में ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि जगन्नाथ की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होने के पूर्व हो चुकी थी, वादी की उम्र-28 वर्ष है और जगन्नाथ की मृत्यु के समय वादी का जन्म हो जाना केवल एक ही दशा में संभव है जबकि उक्त मूल पुरुष जगन्नाथ की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद हुयी है। जगन्नाथ की मृत्यु वर्ष 1956 के बाद होने की दशा में उत्तराधिकार में प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्राप्त सम्पत्ति उसकी पृथक सम्पत्ति मानी जाएगी और वादी या वादी के पिता प्रतिवादी क्रमांक 2 का प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में विवादित भूमियों पर कोई हक व हित नहीं है। उक्त विधिक स्थिति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टान्त कमिशनर ऑफ वेल्थ टेक्स बनाम चन्द्रसेन (1986) 3 एस0सी0सी0 567 पर विश्वास किया जा रहा है।

11. वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी ने स्वत्व की घोषणा नहीं चाही है, बल्कि विवादित भूमियों पर अपने हिस्से को सुरक्षित रखने हेतु विक्रय के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही है और पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादी का हक सुरक्षित रखा जाये। उल्लेखनीय है कि ऊपर की गयी विवेचना से स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होने के पश्चात् मूल पुरुष जगन्नाथ की मृत्यु होने की दशा में उसकी सम्पत्ति उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 को न्यागत होगी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के हाथों में उसकी पृथक सम्पत्ति मानी जाएगी। इस मामले में प्रथम दृष्ट्या यही प्रकट होता है कि विवादित भूमियों में प्रतिवादी क्रमांक 1 का हिस्सा उसकी पृथक सम्पत्ति है, ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में उसके जीवित पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 या पौत्री वादी का कोई हक व हित नहीं है और उक्त सम्पूर्ण विवेचना से प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में नहीं है।

12. सम्पूर्ण वादपत्र में इस तथ्य का कोई अभिवचन नहीं है कि विवादित भूमियों के किसी विनिर्दिष्ट भाग पर वादी का अनन्य कब्जा है, ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति भी नहीं होती है। अतः वादी का अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड  
(म0प्र0)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड  
(म0प्र0)